Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 6.831
Volume - 7, Issue - 04 April - 2024

DOIs:10.2018/SS/202404001 --:-- Research Paper / Article / Review

महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण महिला

(विकासखण्ड कोटाबाग जनपद-नैनीताल में ग्राम आवॅलाकोट के सन्दर्भ में)

डॉ. चन्द्रशेखर बधानी
समाजशास्त्र, नैनीताल, उत्तराखण्ड
Email - chandrashekharbadhani@gmail.com

सारांश: भारतीय संस्कृति ने सदैव सैद्धान्तिक रूप में स्त्री को आदर और सम्मानजनक स्थिति में रखा है। स्त्री का पद गौरवान्वित है। विभिन्न कालों ने स्त्रियों की स्थिति में अनेक परिवर्तनों को दर्शाया गया है। वर्तमान परिदृश्य समाज में नारीवादी आन्दोलन का चित्रण प्रस्तुत कर रहा है। महिला सशक्तिकरण इन्हीं नारीवादी आन्दोलनों के परिणाम के रूप में उभर कर सामने आया है। भारतीय परिपेक्ष्य नारीवादी आन्दोलनों की भूमिका को लिंग सम्बन्धी असमानता को दूर करने में युक्ति के रूप में देखता है। महिला दिवस को समाज द्वारा स्वीकार किया जाना महिलाओं की प्रस्थिति व भूमिका में हुए परिवर्तन का परिणाम है। नारी अध्ययनों ने समाज के सम्मुख नारियों से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं को प्रस्तुत करने में अपना योगदान दिया है। नारियों से सम्बन्धित हो रहे अध्ययनों से पता चलता है कि वे समाज में किस प्रकार से अपनी प्रस्थिति व भूमिका निभा रही है। प्रस्तुत अध्ययन में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, व राजनैतिक प्रस्थिति को देखने का प्रयास किया गया है।

महत्वपूर्ण शब्द : महिला सशक्तिकरण, सामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति ।

1. प्रस्तावनाः-

21वीं सदी में भी महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य प्रायः महिलाओं की आर्थिक एवं राजनैतिक सशक्तता से समझा जाता है जबकि सामाजिक स्तर पर आज भी महिलाओं में शक्तिकरण के लिए पुरूष प्रधान समाज में प्रतिस्पर्धा देखी जा सकती है। संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों को भारतीय समाज की महिलाएं अपनी स्थिति को पुरूष के समानान्तर लाने के लिए संरक्षण एवं सहयोगात्मक उपकरण के रूप में माध्यम बना रही है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948), कारखाना अधिनियम (1948), खान अधिनियम (1952), हिंदू विवाह अधिनियम (1955), हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956), अनैतिक देह व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (1956), दहेज निषेध अधिनियम (1961), मातृत्व लाभ अधिनियम (1961), गर्भावस्था अधिनियम (1971), समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976), महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (प्रतिषेध) अधिनियम(1986), सती (रोकथाम) अधिनियम (1987), राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम (1990), घरेलू हिंसा अधिनियम (2005), कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम (2013) इसके साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम(2015), किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला) (2011), इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना(2010), स्वाधार घर योजना(2001-02), महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम(STEP)(1986-87) जैसी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से भी महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। शिक्षा, प्रस्थिति परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम है जिसके प्रति महिलाओं में जागरूकता उनके सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदमों को गति दे रहा है। अपने अधिकारों के प्रति न केवल जागरूकता ब्लकि उन अधिकारों की प्राप्ति में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान पिछले कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। 73वें संविधान संशोधन ने यद्यपि महिलाओं को विशेषाधिकार देकर राजनैतिक सहभागिता को सुदृढ़ किया है तो भी उनका अपेक्षितसामाजिक सुदृढ़ीकरण होना अभी बाकी है। जिसके लिए वे निरन्तर प्रयासरत हैं। इसी स्थिति को समझने के लिए एक लघु अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

2. साहित्य पुनरावलोकन:

जब कभी हम स्त्रियों की समाजशास्त्रीय प्रस्थितियों की जानकारी लेते हैं तब हमें यह ध्यान रखना होता है कि यह अध्ययन सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा है। सिरादेन माइकिल (1991) ने अपने अध्ययन में पाया कि आधुनिक कल्याणकारी राज्य ने रोजगार

को सामाजिक कार्यक्रमों को विकास का आधार बनाया है। दुर्गा एण्ड राव (1992) जेन्डर आइडोलोजी नामक अध्ययन के निष्कर्षो में बताते है कि, क्षेत्रवार महिलाओं की प्रस्थिति में परिवर्तन पाया जाता है। वसु अल्का (1992)द कल्चर, द स्टेट्स आफ वूमेन एण्ड डेमोग्राफिक विहेवियर के अध्ययन में बताती है, कि महिलाओं के प्रति बढ़े अपराधों ने भी उसकी सामाजिक प्रस्थिति पर कुप्रभाव डाला है। अली शेख मकसूद श्री वारदाना सुशील(1996) का अध्ययन साउथ एशिया में गरीबी उन्मूलन की सरकारी नीति के उदविकास पर आधारित है। जिसे साऊथ एशियन कमीशन ने गरीबी कम करने के बारे में प्रस्तावित किया। वैघ के.सी.(1997) अपने शोध कार्य में पाया कि कई सामाजिक-आर्थिक संस्थागत तथ्यों में प्रकार्यात्मक बाधाऐं आती हैं जो पंचायती राज संस्थाओं में कार्य करने के लिए महिलाओं को आघात पहुँचाती है। हर्कनेश एस. सुजान जाने (2001) वूमेन एण्ड वर्क डायनेमिक्स आफ द ग्लास सीलिंग एण्ड पब्लिक पालिसी परसपेक्टिवस ने अपने शोध अध्ययन में पाया गया कि लिंग महिला की गतिशीलता में तथा रोजगार में एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ता है। विश्वनाथन (2001) ने भारतीय परिदृश्य में कर्नाटक राज्य के सन्दर्भ में मानव विकास सूचकांक और लिंग विकास सूचकांक निहितार्थ गंभीर मूल्यांकन किया और पाया कि इनमें से अधिकांश संकेतक भारत के संदर्भ में महिलाओं के काम और इसके मूल्य को कम करके आंकलन करते हैं। अग्रवाल (2003) ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक तकनीकी मॉडल को सुझाया है। वे मानते हैं कि तकनीकी सुधार एवं भागीदारी के माध्यम से महिलाओं को प्राप्त रोजगार उनके जीवन को सुधारने के लिए आवश्यक है। साथ ही यह ग्रामीण महिलाओं के लिए एक सतत् भविष्य को भी सुनिश्चित करेगा। के.के. तिवारी (2005) वूमेन एजूकेशन एण्ड नेशनल डबलपमेन्ट के अध्ययन में महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार लाने हेतु विशेषकर सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में बल देते है। करात(2008) इतिहास की दृष्टि से जब से भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की प्रकिया शुरू हुई है। उसे स्वतत्रंता के लिए भारत के संघर्ष के विकास के साथ जोडा़ गया है। वर्मा (2009) के अनुसार, विभिन्न सामाजिक-राजनैतिक मचों पर सशक्तिकरण महिलाओं को अधिक प्रभावी रूप से भागीदारी करने में सहायता कर सकता है। शर्मा(2017)ने अपने अध्ययन में पाया कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सारथी कुमारी (2020) ने अपने अध्ययन में पाया कि जैसे-जैसे महिलाएं शिक्षित हो रही हैं उनकी सामाजिक आर्थिक व राजनितिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है और उनमें आत्मनिर्भरता आ रही है।

3. अध्ययन का उद्देश्य:

- महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक व राजनैतिक प्रस्थिति का अध्ययन करना।

4. पद्धतिशास्त्र:

प्रस्तुत अध्ययन में समग्र के रूप में उत्तराखण्ड राज्य के नैनीताल जनपद में कोटाबाग विकासखण्ड के ग्राम आवॅलाकोट को लिया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्राम आवॅलाकोट की कुल जनसंख्या 2642 तथा कुल महिलायें 1318 है। महिला साक्षरता 977 है। प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन हेतु उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के द्वारा 25 से 55 वर्ष आयु वर्ग की 30 महिलाओं का चयन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में अवलोकन, साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने के लिए गया है। द्वितीयक सामग्री के अन्तर्गत प्रस्तुत अध्ययन में विकासखण्ड मुख्यालय, समाज कल्याण विभाग एवं अस्पताल द्वारा महिलाओं से सम्बन्धित प्रलेखों, सूचनाओं, योजनाओं, कार्यक्रमों, इत्यादि की जानकारी प्राप्त की गई है।

शिक्षा:-

शिक्षा समाज की प्रगति को प्रभावित करने वाला कारक है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे व्यक्ति समाज में भिन्नता प्राप्त करता है। शिक्षा सम्पूर्ण जीवन को सरल एवं सुगमता प्रदान करती है। शिक्षा का महत्व प्रायः सभी समाजों में देखने को मिलता है। निम्नलिखित तालिका में उत्तरदाताओं की शिक्षा सम्बन्धी स्थिति को दर्शाया गया है।

तालिका-1 उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर

क्र.सं.	शैक्षणिक स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	निरक्षर	04	13.33
2	पाँचवी	03	10
3	जूनियर हाईस्कूल	06	20
4	हाईस्कूल	05	16.67
5	इण्टरमीडिएट	07	23.33
6	स्नातक	03	10
7	परास्नातक	02	6.67
योग:		**30**	**100**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सबसे अधिक (23.33प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने इण्टरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त की है तथा (13.33 प्रतिशत) उत्तरदाता निरक्षर है।

दूरसंचार के साधनों का प्रयोग:-

समाज में दूरसंचार हेतु साधनों का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता रहा है। प्राचीन काल में ढ़ोल-नगाड़ो व पक्षियों का प्रयोग साधन के रूप में होता था। कागज के आविष्कार ने दूरसंचार के साधनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान समय में फोन, इन्टरनेट जैसे साधनों का प्रयोग दूरसंचार के लिए किया जा रहा है।

प्रस्तुत अध्ययन में समस्त कुल 30 उत्तरदाता दूरसंचार हेतु मोबाइल फोन का प्रयोग करती हैं। निरक्षर उत्तरदाताओं के अनुसार वे इसका प्रयोग अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से परिजनों से संपर्क हेतु कर लेती हैं।

परिवार में निर्णय लेने की भूमिका:-

आर्थिक-राजनैतिक क्षेत्र में सहभागी होने के उपरान्त भी किसी विषय पर अथवा किसी निर्णय पर परिवार में महिला की सहभागिता से यह समझा जा सकता है कि वह सामाजिक रूप से कितना सशक्त हुई है। प्रायः लगभग सभी समाजों में महिलाओं की पारिवारिक निर्णयों में सहभागिता द्वितीय स्थान पर अथवा न्यून ही देखी जा सकती है। परिवार के निर्णयों में पुरूष ही भूमिका निभाते हैं, परन्तु वर्तमान समय में महिलाओं की पारिवारिक महत्व को देखा जा सकता है। निम्नलिखित तालिका में उत्तरदाताओं की परिवार में निर्णय लेने की भूमिका सम्बन्धी स्थिति को दर्शाया गया है।

तालिका-2 उत्तरदाताओं के परिवार में निर्णय लेने की भूमिका

क्र.सं.	निर्णय लेने की क्षमता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हमेशा	09	30
2	कभी-कभी	13	43.33
3	सहभागिता नहीं	08	26.67
योग:		**30**	**100**

तलिका से स्पष्ट है कि सबसे अधिक (43.33प्रतिशत) उत्तरदाताओं की पारिवारिक निर्णयों में भूमिका कभी-कभी होती है जबकि (26.67प्रतिशत) उत्तरदाताओं की सहभागिता नहीं होती है।

उत्तरदाता का व्यवसाय:-

उत्तरदाता की आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी व धनोपार्जन की स्थिति को जानने का प्रयास किया गया है। यहाँ उत्तरदाता के स्वंय का व्यवसाय चुनने व उसमें क्रियान्वयन होना प्रस्तुत है। निम्नलिखित तालिका में उत्तरदाताओं के व्यवसाय सम्बन्धी स्थिति को दर्शाया गया है।

तालिका-3 उत्तरदाता का व्यवसाय

क्र.सं.	उत्तरदाता का व्यवसाय	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	केवल गृहणी	05	16.67
2	गृहणी व कृषि कार्य	19	63.33
3	दुकान	03	10
4	गैर सरकारी नौकरी	02	6.67
5	सरकारी नौकरी	01	3.33
योग:		**30**	**100**

अतः स्पष्ट है कि सबसे अधिक (63.33प्रतिशत) उत्तरदाता गृहणी तथा कृषि कार्य दोनों करती हैं तथा सबसे कम (3.33प्रतिशत) उत्तरदाता सरकारी नौकरी करती हैं।

बीमा पॉलिसी:-

वर्तमान समय में मनुष्य दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा का प्रयोग करता है। व्यक्तिगत रूप से निजी बीमा पॉलिसी लिए जाने को निम्नलिखित तालिका में उत्तरदाताओं की बीमा पॉलिसी सम्बन्धी स्थिति को दर्शाया गया है।

तालिका-4 उत्तरदाताओं की बीमा पॉलिसी

क्र.सं.	बीमा पॉलिसी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	08	26.67
2	नहीं	22	73.33
योग:		**30**	**100**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सबसे अधिक (73.33प्रतिशत) उत्तरदाताओं के नाम बीमा पॉलिसी नहीं हैं तथा केवल (26.67प्रतिशत) उत्तरदाताओं के नाम ही बीमा पॉलिसी हैं। यद्यपि कुछ उत्तरदाताओं द्वारा बताया गया कि जनधन पॉलिसी के अन्तर्गत उनका बैंक खाता भी है।

मतदान का आधार:-

भारत में मतदान पर विभिन्न पक्षों का प्रभाव रहता है। जिसमें परिवार, मित्र, सम्बन्धी इत्यादि की भूमिका भी देखी जा सकती है। वर्तमान समय में शिक्षा, जागरूकता इत्यादि ऐसे अनेकों कारक हैं जोकि मतदाता का अपने मत के प्रति विचार करते हुए स्वंय निर्णय लेने में सक्षम बनाते है। निम्नलिखित तालिका में उत्तरदाताओं के मत प्रयोग का आधार सम्बन्धी स्थिति को दर्शाया गया है।

तालिका-5 उत्तरदाताओं के मतदान का आधार

क्र.सं.	मतदान का आधार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	स्वेच्छा(पूर्णतया)	11	36.67
2	स्वेच्छा व परिवारिक सलाह	06	20
3	केवल परिवारिक निर्णय से	13	43.33
योग:		**30**	**100**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि यद्यपि (43.33प्रतिशत) उत्तरदाता केवल पारिवारिक निर्णय से मतदान करती हैं तो भी (56.67प्रतिशत) उत्तरदाता स्वेच्छा व पारिवारिक सलाह से मतदान करती हैं। जो दर्शाता है कि महिलाओं की भी सामाजिक निर्णयों में सक्षमता व सहभागिता हो रही है।

विभिन्न राजनैतिक पदों पर प्रतिभाग:-

सामुदायिक विकास के लिए राजनीति का विशेष महत्व है। जिसमें व्यक्तियों द्वारा उनके प्रतिनिधित्व हेतु एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। जोकि राजनैतिक पद धारण कर लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित तालिका में उत्तरदाताओं की चुनाव में प्रतिभागिता सम्बन्धी स्थिति को दर्शाया गया है।

तालिका-6 उत्तरदाताओं की राजनैतिक पदों पर प्रतिभागिता

क्र.सं.	प्रतिभागिता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	महाविद्यालय	01	3.33
2	पंचायत(प्रधान)	04	13.34
3	बी0 डी0 सी0	01	3.33
4	ब्लाकप्रमुख	01	3.33
5	जिलापंचायत	01	3.33
6	प्रतिभाग नहीं	22	73.34
योग:		**30**	**100**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि (26.66प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने चुनाव में प्रतिभाग किया है। जबकि (73.34प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने चुनाव में किसी भी पद पर प्रतिभाग नहीं किया है।

5. निष्कर्ष:-

प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं का आयु वर्ग स्वंय की स्थिति व सशक्तिकरण के महत्व को समझने में सक्षम हैं। ग्रामीण परिवेश में निवास करने के उपरान्त भी उत्तरदाता उच्च शिक्षा ग्रहण किये हुए हैं जोकि उनका शिक्षा के प्रति जागरूक दृष्टिकोण को दर्शाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण के प्रति प्रयोग यह दर्शाता है कि उनमें तकनीकी रूचि बढ़ रही है। परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी भागीदारी होना उनकी पारिवारिक स्थिति को सुदृढ बनाता है साथ ही परिवार में समान अधिकार को भी दृष्टिगोचर करता है। व्यक्तिगत जोखिम के लिए बीमा पॉलिसी लेने में उत्तरदाता अभी भी पीछे हैं। कृषि कार्य, गैर सरकारी

संस्थानों के साथ ही सरकारी सेवा में महिलाओं की भागीदारी यह दर्शाती है कि वे परिवार को आर्थिक रूप से सबल बनाने में पुरूष के समान ही भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। यह उनकी सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ता भी प्रदान करती है। वर्तमान प्रजातंत्र के युग में महिलाओं द्वारा स्वयं के निर्णय के आधार पर मतदान प्रयोग उनकी राजनैतिक सहभागिता एवं निर्णय में स्वतंत्रता को दर्शाता है। राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सवैधानिक संरक्षण के उपरान्त विशेष बल मिला है, जिसका प्रभाव इन उत्तरदातओं में देखा जा सकता है। उपरोक्त अध्ययन में 8 उत्तरदाताओं द्वारा चुनाव में पद हेतु प्रतिभाग उनकी राजनीति में सक्रिय सहभागिता को दर्शाता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रधान पद हेतु 2 उत्तरदाता जिसमें से 1 वर्तमान में तथा 1 पूर्व में प्रधान पद पर रह चुकी हैं। बी0डी0सी में विजयी होने उपरान्त ब्लाकप्रमुख पद पर 1 व जिला पंचायत सदस्य पद पर 1 उत्तरदाता ने जीत भी दर्ज की है। उपरोक्त आकंड़ो के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक व राजनैतिक स्थिति में सुधार हो रहा है। शिक्षा को महत्व देते हुए महिलाएं स्वंय की प्रस्थिति को बदलने के प्रति जागरूक हो रही है। जोकि महिला सशक्तिकरण की ओर उनके बढ़ते हुए कदमों को दर्शाता है।

सन्दर्भ सूची:-

1. अली शेख मकसूद सिरीवारदाना व सुशील (1996):टू वर्ड ए न्यू पैराडाइयम फोर पोवर्टी इरेडीकेशन इन साऊथ एशिया जर्नल आफ अरवन अफेयरस 1998, अंक20(4) 4119-441।
2. के. के. तिवारी (2005): वूमेन एजूकेशन एण्ड नेशनल डबलमेन्ट स्टेटस आफ वूमेन इन मोडर्न इन्डिया, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन प्रा0लि0, राजौरी गार्डन, न्यू दिल्ली।
3. करात वृन्दा(2008): भारतीय नारीः संर्घष और शक्ति, पेज119-120, दिल्ली, ग्रन्थ सिल्पी।
4. दुर्गा, कनका वी. प्रसाद राव एण्ड डी. एल (1992): जेन्डर आइड लोजी-ए कम्परेटिन एनालेसिस आफ ट्राइवल एण्ड नोन ट्राइवल वूमन इन चेतन काल बाग, डिस्कवरी पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली।
5. रवि कपूर, समाजशास्त्र, राष्टीय मुक्त विघालयी शिक्षा संस्थान, ए-24/25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62 नोएडा, मैसर्स अभिनव प्रिंट्स रोहतक रोड, दिल्ली।
6. वसु अल्का(1992): द कल्चर: द स्टेटस आफ वूमेन एण्ड डेमोग्राफिक विहेवियर, किलेरन्ड प्रेस, लन्दन।
7. वैघ के सी. (1997): पोलिटीकल इम्प्योरमेन्ट आफ वूमेन एट द ग्रासरूट कनिष्का पब्लिसर्स; न्यू दिल्ली।
8. सिरादेन माइकिल (1991): बुक इम्प्लोयमेन्ट एण्ड सोशल वैलफेयर पालिसी।
9. शर्मा ए(2017): ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका, रिसर्च लिंक156(1)100-101।
10. सारथी कुमारी (2020): International Journal of Advanced Academic Studies 2020; E-ISSN: 2706-89272(1): 305-308
11. Agarwal, S. (2003), 'Technology Model for Women's Empowerment: Reaching the Unreached', Kurukhestra, Ministry of Rural Development Vol. 51(7), pp. 18-21
12. Verma, M. M. (2009), 'Approaches to Women's Empowerment: An Overview' IASSI Quarterly, Special Issue, pp. 230-249
13. Viswanathan, R. (2001), 'Development, Empowerment and Domestic Violence Karnataka Experience', Economic and Political Weekly, Vol.36 (24), pp. 2173-2177.

Websites:-

1. https://censusindia.gov.in
2. https://www.mospi.gov.in/
3. https://wcd.nic.in/